



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



राज्य मार्ग, नया दिल्ली, सचिवालय, 38, एमएच  
फोन नं. 110091, फोन 23353593, फैक्स 23753923  
वेबसाइट: www.cerind.gov.in

दिनांक : 23.02.2022

284/टीडी/2021

## विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-III अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्मआई न्यू एनर्जी ट्रेडिंग प्रॉवेंट लिमिटेड, ब्लॉक ई-14 फ्लोर, यूनिट नं. 1401 से 1421, इंडरोजानल ट्रेड टावर, गैरुड रोड, नई दिल्ली 110 019 द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. फॉर्मआई न्यू एनर्जी ट्रेडिंग प्रॉवेंट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट [www.aetrading.in](http://www.aetrading.in) में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के अन्तर्गत, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 23.2.2022 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-III में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारंपरिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पत्र पर 15.3.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग उचित समय पर अंतिम निर्णय की तारीख तय करेगा और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंसेवक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टॉए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(सनीज कुमार झा)  
सचिव